

LR
17/5/18

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

चौहान

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

20/18
11.5.18

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम मंडी की बरी की जमाबन्दी

संवत् 2073-2076 खाता संख्या 2 में

सर,

मिनेट्टू दे जिम जीमरा डी सुब्बा का निवेदन इल पकार है कि मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड गांव मंडी की बरी के खस. 880/851 रकमा 104.06 बीघा में जीमरा डी सुब्बा नाम डल है। मेरा राजस्व रिकॉर्ड, भाधार कार्ड, पॉस्चप फा में जीमरा डी सुब्बा नाम डल है। सोमान्नी से निवेदन है कि जीमरा डी सुब्बा के नाम पर जीमरा डी सुब्बा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में ऊपर किया गया

उम करवात वा सुब्बा नाम डल इलाका का प डठ विवामी को विवामी निरकिली ड। सुब्बा नाम डल इलाका का प डठ विवामी को विवामी नाम डल इलाका डल है। कि जीमरा डी सुब्बा नाम डल इलाका का प डठ विवामी को विवामी नाम डल इलाका डल है। सोमान्नी से निवेदन है कि जीमरा डी सुब्बा के नाम पर जीमरा डी सुब्बा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में ऊपर किया गया

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फेरमाने की कृपा करें। हम जीमरा डी सुब्बा नाम डल इलाका का प डठ विवामी को विवामी नाम डल इलाका डल है। सोमान्नी से निवेदन है कि जीमरा डी सुब्बा के नाम पर जीमरा डी सुब्बा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में ऊपर किया गया

दिनांक 11/5/18

प्रार्थी

दीपक

जीमरा

दिनांक

सिधेक ही कि जीपरा व सुखा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जोय हो
 क्र. सं. 0801851 क्रमांक 104/06 बीघा में जीपरा व सुखा नाम दर्ज है पता
 कि आधार कार्ड, परिवार पत्र में जीपरा व सुखा नाम दर्ज है व गोकुल का
 भी जीपरा व सुखा के नाम से ~~संज्ञा~~ जाना जाता है कतः इनका नाम मूल्य
 जीपरा व सुखा के दफ्तर पर जीपरा व सुखा नाम दर्ज किया जाने की प्रकृति
 कारी है।

गणेश
 23/11/18
 प. भा. ग. भा.

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
 23/11/18

पटवारी व भू.अ. निरीक्षण की जांच रिपोर्ट पर लाल
 स्तम्भ प्रस्तावों के आधार पर प्रार्थी का नाम
 (जीपरा व सुखा) के स्थान पर "जीपरा व सुखा"
 सुखा" ~~दुरुस्त~~ करने की अनुरोध
 की जाती है।

तहसीलदार/नाथब तहसीलदार
 रिपोर्ट तहसीलदार/नाथब तहसीलदार

तहसीलदार सेखा, IPR सेगिया, पटवारी हल्का सेगिया से प्राप्त आंच
 रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का
 प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम "जीपरा व सुखा" के
 स्थान पर शुद्ध नाम "जीपरा व सुखा" दुरुस्त करने का
 आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार सेखा को राजस्व
 रिकॉर्ड में अंमल दरमिद करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थनी
 फसल शुभार हेकर दायित्व दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी
 चोहटन

उप खण्ड अधिकारी